

उत्तर प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of the Executive Engineer
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, फिरोजाबाद
Provincial Division, PWD, Firozabad



निरीक्षण भवन प्रांगण, थाना रसूलपुर के
पारा, फिरोजाबाद-283203
Inspection House Compound,
Near Thana Rasulpur, Firozabad-283203
E-mail :- pwwd92@gmail.com

पत्रांक :- 365 / 1C

दिनांक :- 08-02-2024

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।

विषय :- Ivey International School, Rasidpur Kaneta, Firozabad का निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- जिला विकास कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक 1333 दिनांक 09.11.2023

महोदय,

अवगत कराना है कि उक्त विषयक विद्यालय का सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण निरीक्षण किया गया तो तकनीकी बिन्दु व जांच आख्या का विवरण निम्न है :-

दो मंजिल/प्रथमतल (भूतल तल) भवन हेतु चैकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1.	भवन एक मंजिली है अथवा दो मंजिल	दो मंजिल से अधिक
2.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 है। (4000 वर्ग मी0 है)	हाँ
3.	क्या भवन में पार्किंग की समुचित व्यवस्था है।	हाँ
4.	क्या भवन में ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है।	हाँ
5.	कक्ष मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है।	हाँ
6.	क्या भवन की छत आर0सी0सी0 से बनी है? यदि नहीं तो छत के निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी है।	हाँ
7.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है।	हाँ
8.	क्या भवन की दीवारें/छतों में क्रेक है।	नहीं
9.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6मी0 (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0मी0) है।	3.60मी0
10.	क्या विद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0मी0 ऊँचाई 4.5मी0 है।	हाँ
11.	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 1.0 प्रतिशत है खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है।	हाँ
12.	क्या कक्षा न्यूनतम दो दरवाजे हैं।	हाँ
13.	क्या कक्षा के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी0, ऊँचाई 2.0मी0 है)	हाँ
14.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि0मी0, ट्रेड 300 मि0मी0 तथा राइजर 150 मि0मी0 है।	हाँ
15.	क्या भवन के कक्षों में जाने की अधिकतम दूरी 22.50मी0 है।	< 22.50
16.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है?	हाँ
17.	क्या भवन से मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है।	हाँ
18.	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे हैं।	हाँ
19.	क्या भवन में विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी0 तथा होरीजेन्टल दूरी 1.2 मी0 है।	हाँ
20.	क्या भवन में विद्युत की हाई बोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी0 एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मी0 है।	—
21.	क्या पुरानी विद्युत वाइरिंग स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट आई0एस0आई0 मार्क सामग्री बदले गये हैं।	हाँ

अतः उक्त भवन राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 एवं तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित बिन्दुओं के अधीन प्रथम दृष्टया भूकम्प निरोधी/विशिष्टियों के अनुरूप है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, फिरोजाबाद